



(प्रारूप-“ब”)

समस्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश



7891

IT'S Affixed Rs 10

हम राज कुमारी त्रिपाठी पुत्री स्व. हरि प्रसाद त्रिपाठी प्रबन्धक एवं प्रीति त्रिपाठी पत्नी राज कुमारी त्रिपाठी प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष हरि प्रसाद चन्दवर्ती महाविद्यालय सकिरी, सोनभद्रा काँरीगा, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर शम्भुपूर्वक निम्नक्त बचाल करती हैं-

घात-1 यह कि हमारी सोनभद्रा/दुसत द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ. हरि प्रसाद चन्दवर्ती कॉलेज ऑफ फार्सी सीनहर्ई काँरीगा, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर(प्रस्तावित)

घात-2 यह कि हमारी सोनभद्रा/दुसत के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है-

क्रम संख्या	पता	प्लॉट संख्या	भूमि का रकबा	भूमि इस्टीमेट
1	2	3	4	5
1	सीनहर्ई काँरीगा, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	501.507	8812.8000	9912.8000

घात-3 यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोनभद्रा/दुसत द्वारा भूमि आवंटित की गयी है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का मूल्य	पता	प्लॉट संख्या	रकबा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1	हरि प्रसाद चन्दवर्ती कॉलेज ऑफ फार्सी	9912.80	सीनहर्ई काँरीगा, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	501.507	8812.8000	9912.8000

(1)

धारा-4 यह कि उपरोक्त स्थिति सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के सभासदन के प्रारम्भ के समय ही है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

धारा-5 यह कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1	कोई बदलाव नहीं।	-	-	-	-

धारा-6 यह कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा-7 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/पस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हो प्रबन्धक

राजकुमार त्रिपाठी

हो कोषाध्यक्ष

श्रीती त्रिपाठी



अनुमोदित
 certified By Sir
 21/9/23

श्रीती त्रिपाठी
 21/9/23